

जून 25, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-14

कार्यकारी आदेश 2021-14
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 83)

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, जो 1, 390, 000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 23, 100 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

जबकि, CDC यह सलाह देना जारी रखे हुए है कि कपड़े के फ़ेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

जबकि, CDC की सलाह है कि स्कूलों को कम से कम 2020-2021 शैक्षिक स्कूल वर्ष की शेष अवधि तक K-12 स्कूलों के लिए CDC की परिचालन रणनीति में उल्लिखित COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखें; और,

जबकि, सीडीसी ने यह सलाह देना जारी रखा है कि डे केयर प्रदाताओं को चाहिए कि उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखें; और

जबकि, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 23,100 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान के कारण और दसियों हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और एक महत्वपूर्ण संख्या में व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; तथा,

जबकि, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; तथा,

जबकि, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एगरीकलचर (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए डेड एनीमल डिस्पोज़ल एक्ट (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक का छिड़काव करने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण के संचालन के लिए नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

जबकि, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, 25 जून 2021 को, COVID-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, कार्यकारी आदेश 2020-04, 2020-07, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2021-03, 2021-07, 2021-12, और 2021-13, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्वारा समाविष्ट करता हूं;

अतः, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों की संगति में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 25 जून, 2021 से प्रभावी होगा:

भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः प्रकाश।

सरकारी आदेश 2020-04, 2020-07, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-57, 2020-68, 2021-03, 2021-07, 2021-12, और 2021-13 को निम्नवत एतद्वारा पुनः जारी किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना; राज्य कर्मचारियों के लिए रोग अवकाश आवश्यकता की समाप्ति):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसिज़ (Department of Central Management Services) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

कार्यकारी आदेश 2020-07 (वैयक्तिक बैठक की आवश्यकताएं)

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को पुनः जारी किया जाता है और 24 जुलाई 2021 तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद धारा 6 को रद्द कर दिया जाएगा।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-09 के अनुभागों 9 और 10 को पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-09 की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जैसा कि कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा संशोधित किया गया है, को फिर से जारी किया जाता है और 24 जुलाई, 2021 तक या संबंधित कानून (HB 3308, जैसा कि 102वीं महासभा द्वारा पारित किया गया है) तक बढ़ाया जाता है। अधिनियमित किया जाता है और प्रभावी होता है, जो भी पहले हो।

कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्शज़ (Illinois Department of Corrections) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुविनायल जस्टिस (Illinois Department of Juvenile Justice) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-12 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल कोड (Illinois School Code) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्शज़ (Illinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्यवाहियां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसिज़ फोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Program); इलिनॉय मिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसिज़ (Illinois Department of Human Services) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल):

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैयक्तिक रूप से शिक्षण या परीक्षाएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-29, को पूर्णरूपेण पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 या फिर तत्संबंधी विधान (HB 1957 जैसा कि 102वीं महासभा द्वारा पारित किया गया है) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-30 (समाप्त (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय ह्यूमन राइटज़ कमीशन (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5, और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-34 (केनाबिस संबंधी आवश्यकताएँ)

कार्यकारी आदेश 2020-34, को पूर्णरूपेण पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 या फिर तत्संबंधी विधान (HB 1443, जैसा कि 102वीं महासभा द्वारा पारित किया गया है) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ (Illinois Department of Public Health) नियामक गतिविधियां):

कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभाग 14 को पुनः जारी किया जाता है एवं जुलाई 24, 2021 तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद अनुभाग 14 निरस्त कर दिया जाएगा।

कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह लाइसेंसिज़):

कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-45 (केनाबिस लाइसेंस):

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावी रहेगा।

कार्यकारी आदेश 2020-47 (preK-12 स्कूलों में वैयक्तिक शिक्षण):

कार्यकारी आदेश 2021-11 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-47 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करैक्श्रज़ में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):

कार्यकारी आदेश 2020-50 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-57 (केनाबिस (भाग) के पहचान पत्र):

कार्यकारी आदेश 2020-57, को पूर्णरूपेण पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 या फिर तत्संबंधी विधान (HB 1443, जैसा कि 102वीं महासभा द्वारा पारित किया गया है) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-68 (केनाबिस रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):

कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स):

कार्यकारी आदेश 2021-03 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-07 (इलिनॉय एनर्जी असिस्टेंस एक्ट (Illinois Energy Assistance Act) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2021-07 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):

कार्यकारी आदेश 2021-12 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-13 (आवासीय निष्कासन स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2021-13 के अनुभागों 1, 2, 4, 5, 7 और 8 को पुनः जारी किया जाता है एवं 24 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 4. इलिनोइस राज्य में सभी राज्य, काउंटी और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे एक कवर किए गए व्यक्ति या गैर-कवर व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किए गए आवासीय परिसर से बेदखली के आदेशों को लागू करना बंद कर दें, जब तक कि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अन्य किरायेदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा या संपत्ति के लिए तत्काल और गंभीर जोखिम नहीं पाया गया हो। यह अनुभाग मार्च 20, 2020 से पहले दर्ज किए गए आदेशों और जून 25, 2021 से शुरू होने वाले कवर नहीं किए गए व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए आदेशों पर लागू नहीं होगा। निष्कासन के आदेशों का प्रवर्तन 735 ILCS 5/9-117 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

भाग 2: बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 25 जून, 2021 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 25 जून, 2021 को दायर